न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 01/2024 (जी.सी.एम.एस.नम्बर:2024/94)

व इजलासः— डॉ.रवि कुमार गोयल
(R.A.S)

उनवान

1. बृजमोहन
2. सुरेशचन्द
3. हरवीर
4. खैमी पुत्र नैनसुखी

} पुत्रगण नवल सिंह } जातियान जाट नि0 ग्राम नाहरौली देशवार तहसील व जिला डीग(राज0)

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जनूथर जिला डीग (राज0)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट, सीमांकन एवं पत्थरगढी

निर्णय **दिनांकः 11.06.2024**

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट,(सीमांकन एवं पत्थरगढी)** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 297/0.02, वाके ग्राम नाहरौली देशवार तहसील जनूथर में स्थित है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर प्रार्थीगण वाहैसियत खातेदार काश्त काबिज है। उक्त आराजी के वतरफ पश्चिम दिशा में डीग से जनूथर वाली सडक है तथा पूरव दिशा में खसरा नम्बर 296 है। खसरा नम्बर 296 के खातेदारान का प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार से नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 296 के खातेदारान जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 297 पर हस्तक्षेत्र करते है तथा कब्जा नाजायज करना चाहते है। जिस कारण प्रार्थीगण ने पूर्व में प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 06.06.2023 को खसरा नम्बर 297 रकबा 0.02 की पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान अन्य खातेदारान व ग्रामवासियों की उपस्थिति में कराया था और निशानात कायम किये गये थे, लेकिन खसरा नम्बर 296 के खातेदारान ने गलत तरीके से अस्थाई निशानात को हटा दिया जिस कारण विवाद पैदा होने की संभावना हो गई। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 297 रकबा 0.02 की पुनः पैमाईश कराकर पुख्ता निशानात(पत्थरगढी) कराना चाहते है। जिससे कि अवांछित विवाद समाप्त हो सके। प्रार्थीगण सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी में होने वाले नियमानुसार खर्चा को वहन करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार जनूथर को आराजी ख0नम्बर 297/0.02 वाके ग्राम नाहरौली देशवार तहसील जनूथर का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी(स्थाई सीमाचिन्ह)कायम किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार जनूथर से रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट तहसीलदार जनूथर में वर्णित है कि आराजी खसरा नम्बर 297/0.02 वाके ग्राम नाहरौली देशवार तहसील जनूथर का ग्रामवासियों की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया व निशानात कायम किये गये। खसरा नम्बर 297 की पश्चिम दिशा में जनूथर–डीग वाली सडक गुजर रही है व पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 296 है। मुताविक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 296 जशोदा, फूलवती पुत्री लक्ष्मन, दौलत, नवल सिंह, मुकेश, सुन्दर पिस0 लक्ष्मन सिंह, सोमोती पत्नी लक्ष्मन, मोहन सिंह, रामसरन, शिवसिंह पिस0 रामरूप जाति जाट नि0 नाहरौली देशवार के नाम दर्ज रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

है। मौके पर खसरा नम्बर 297 से पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 296 में सुन्दर पुत्र लक्ष्मन व देवेन्द्र उर्फ सोनू पुत्र हरीसिंह जाति जाट नि0 नाहरौली देशवार का मकान बना हुआ है। मौके पर जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि खसरा नम्बर 296 के खातेदारों ने खसरा नम्बर 297 के सीमाज्ञान के दौरान लगाये गये निशानात खुर्द बुर्द कर दिये गये है। मौके पर खसरा नम्बर 297 एवं 296 के काश्तकारों के मध्य काफी पुरान विवाद चल रहा है। खसरा नम्बर 297 के काश्तकारों को मौके पर खसरा नम्बर 296 के काश्तकार कब्जा नहीं करने दे रहे है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाकर आराजी ख0 नम्बर 297/0.02 वाके ग्राम नाहरौली देशवार तहसील जनूथर का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी (स्थाई सीमाचिन्ह) कायम किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार जनूथर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाकर हम आराजी ख0 नम्बर 297/0.02 वाके ग्राम नाहरौली देशवार तहसील जनूथर का सीमाज्ञान/पत्थरगढी (स्थाई सीमाचिन्ह) कायम किये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट,स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जनूथर प्रार्थीगण से सीमाज्ञान/पत्थरगढी में होने वाले खर्चे को नियमानुसार राजकोष में जमा कराकर आराजी ख0 नम्बर 297/0.02 वाके ग्राम नाहरौली देशवार तहसील जनूथर का सीमाज्ञान/पत्थरगढी कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी डीग (राजस्थान)

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner